

आवश्यक सूचना

बंगाली मूल के छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालित दो योजनाएं 01- "गुरु चांद ठाकुर स्मृति सहायता कोष" एवं 02- " दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म क्षेत्र सहायता कोष " योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं -

उपरोक्त दोनों योजना में आर्थिक सहायता हेतु पात्रता निम्नानुसार है :-

- 01- सत्र 2026-27 में अध्ययनरत सामान्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र एवं छात्राएं इस आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
- 02- शिक्षण संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र पर स्वीकृती एवं मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य है।
- 03- पिता/अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रूपया 250000-00 (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) तक का तहसील स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- 04- छात्रवृत्ति प्राप्त किये जाने हेतु जाति प्रमाण पत्र।
- 05- विगत शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्रा आवेदन के पात्र होंगे।
- 05- आवेदन हेतु आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में 'सूचनाएं' टैब से व <https://socialwelfare.uk.gov.in/hi/news-2/> से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

अतः उक्त कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि वे अपने शिक्षण संस्थान से निर्धारित आवेदन पत्र को स्वीकृत करा कर उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2026 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय विकास भवन, कमरा नम्बर 124 में निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अपूर्ण एवं उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

मुख्य विकास अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

जिलाधिकारी
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी ऊधमसिंह नगर

पत्रांक 2334 /स0क0/विज्ञप्ति/बं0मू0समु0/2026-27

दिनांक 29 अगस्त 2026

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंह नगर।
- 02- मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- 03- उप जिलाधिकारी सितारगंज/गदरपुर को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 04- खण्ड विकास अधिकारी, सितारगंज/गदरपुर को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 05- क्षेत्रीय संपादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराते हुये बिल की दो प्रतियां इस कार्यालय को प्रकाशित सूचना की प्रति सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

जनपद में बंगाली मूल के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु
आर्थिक सहायता का आवेदन पत्र

प्रमाणित फोटो

जनपद में निम्नवत दो योजनायें संचालित है :-
(जिस योजना हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके सम्मुख टिक का निशान लगाये)

01- "दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म क्षेत्र जनपद ऊधमसिंह नगर मे निवासरत बंगालीमूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष " (कार्य क्षेत्र-दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म क्षेत्र जनपद ऊधमसिंह नगर)

☐

02- "गुरु चांद ठाकुर स्मृति सहायता कोष " (कार्य क्षेत्र-सम्पूर्ण उत्तराखण्ड)

☐

(महत्वपूर्ण दिषा-निर्देश)

(आवेदन पत्र को भरने से पूर्व आवेदन को भली भांति पढ़ लिया जाये ताकि आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को भरने में किसी प्रकार की त्रुटी न हो। आवेदन पत्र को सावधानी से भरा जाये, आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग, ओवर राईटिंग, फलूड इंक वर्जित है)

01- आवेदक सहायता कोष का सत्र -----

02- आवेदक का नाम -----

03- पिता/पति का नाम -----

04- योजना का नाम जिस हेतु आवेदन किया गया है-----

05- स्थाई पता -----

06- पत्र व्यवहार का पता -----

07- जन्मतिथि (अंको में) ----- शब्दों में-----

08- जाति-----उपजाति-----

09- पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय -----

10- शैक्षिक योग्यता :-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	विषय	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हाईस्कूल							
2	इण्टर							
3	स्नातक							
4	स्नातकोत्तर							

11- वर्तमान कोर्स/कक्षा का नाम जिसके लिए आर्थिक सहायता की मांग की गयी है -

12- वर्तमान शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का नाम/पता -

13- क्रमांक 11 में अंकित कोर्स हेतु मदवार व्यय होने वाली धनराशि का विवरण :-

मदवार शुल्क का विवरण	शिक्षण शुल्क	आवास पर व्यय	भोजन व्यवस्था पर व्यय	पुस्तकीय/स्टेशनरी का व्यय	योग धनराशि

उक्त शुल्क की पुष्टि हेतु प्रमाणित अभिलेख संलग्न करें—

14— वर्तमान वर्ष में कोई अन्य राजकीय सहायता प्राप्त की गई यदि हां तो प्राप्त की गई धनराशि —

15— वर्तमान वर्ष में समाज कल्याण विभाग अथवा अन्य विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है या नहीं— हाँ / नहीं

16— आवेदक/अभिभावक का मोबाईल नम्बर —

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि क्रम संख्या 01 से 16 तक दी गयी समस्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही व सत्य है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गये समस्त शैक्षिक, जाति, आय, निवास एवं शिक्षा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र विधि संगत एवं सही संलग्न किये गये हैं, यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा आवेदन पत्र/चयन निरस्त कर दिया जाये आवेदन पत्र में कोई गलत प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हों तो मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर दी जाये।

पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर
दिनांक —————

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक —————

शैक्षिक संस्था का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी—पुत्र/पुत्री/पत्नी—ग्राम/शहर
—विकास खण्ड—जनपद—(उत्तराखण्ड) शैक्षिक संस्था
का नाम —में कोर्स—वर्ष—में अध्ययनरत /
प्रशिक्षणरत नियमित छात्र/छात्रा है। यह शैक्षिक संस्थान राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार क्रमांक 01 से 16 तक दी गई सूचना सही है, इन्हें बंगालीमूल के अनुसूचित जाति हेतु सहायता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। इस संस्था में अध्ययनरत बंगालीमूल के छात्र/छात्रा के द्वारा किसी अन्य आर्थिक सहायता हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

संस्थाध्यक्ष के हस्ताक्षर
तिथि
एवं संस्थान की मोहर

नोट— आवेदन पत्र के सभी कॉलम पूर्ण एवं साफ-साफ भरे जायें। आवेदक के परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय 250000-00 (रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। “दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म क्षेत्र जनपद ऊधमसिंह नगर में निवासरत बंगालीमूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष में आवेदन किये जाने हेतु अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र, संलग्न किया जाये।